बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 19.11.2009

संख्या–8/सू.अ.–15–02/2006का. 12527 /सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम 22, 2005) की धारा–27 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 में संशोधन के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।–

(1) यह नियमावली बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–2 (यहाँ इसके बाद 'मुख्य नियमावली' के रूप में संदर्भित) का संशोधन ।–

मुख्य नियमावली के नियम–2 में खण्ड–(च) के बाद एक नया खण्ड–(छ) जोड़ा जाएगा :–

खण्ड–(छ) जानकारी कॉल सेन्टर से अभिप्रेत है राज्य सरकार का एक पहल, जिसके माध्यम से दूरभाष/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना माँगी जा सकती है ।

3. मुख्य नियमावली के नियम–3 का संशोधन :–

(1) मुख्य नियमावली के नियम–3 के उप नियम–(2) के खंड(ii) के परन्तुक के पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा:–

(iii) उक्त शुल्क जमा करते समय आवेदक स्व पता लिखित एवं डाक टिकट (सामान्य डाक, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट) सटा हुआ लिफाफा भी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि किसी आवेदक ने स्व पता लिखित एवं डाक टिकट सटा हुआ लिफाफा नही संलग्न किया है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकृत नही होगा ।

(2) मुख्य नियमावली के नियम–3 के उप नियम–2 के खण्ड–(ii) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के ऐसे व्यक्तियों को मात्र 10 (दस) पृष्ठों तक की सूचना निःशुल्क दी जा सकेगी और 10 पृष्ठों से ज्यादा होने पर नियमानुसार शुल्क प्रभारित की जायेगी ।

4. नया नियम–3–क का जोड़ा जाना :–

मुख्य नियमावली के नियम–3 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा :–

3. क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एकमात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतया एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा । यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता हो तो वह अलग–अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक विषयों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम विषय मात्र से सूचना देगा और आवेदक को परामर्श देगा कि अन्य विषयों में से प्रत्येक के संबंध में अलग–अलग आवेदन करें ।

5. मुख्य नियमावली के नियम–4 में उप नियमों का जोड़ा जाना :–

मुख्य नियमावली में नियम–4 में उप नियम (2) के बाद नियम जोड़ा जाएगा :–

(3) केवल ऐसी सूचना प्रदान की जाएगी जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा । यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए, तो वह आवेदक को सूचित कर देगा कि माँगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तो, ऐसी स्थिति में, लोक सूचना पदाधिकारी उपलब्ध सूचना दे देगा तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकरण के पास शेष भाग की सूचना प्रदान करने के लिए भेज देगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध हैं तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है तो ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का लोक सूचना पदाधिकारी अपने से संबंधित सूचना दे देगा तथा साथ ही आवेदक को सलाह देगा कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करे ।

(7) 'जानकारी' कॉल सेन्टर द्वारा प्राप्त कोई आवेदन यदि किसी ऐसे लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित किया जाता है और वह आवेदन वास्तव में किसी अन्य लोक सूचना

पदाधिकारी से संबंधित होता है, तो प्राप्तकर्त्ता लोक सूचना पदाधिकारी उस आवेदन को सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत जैसा आवश्यक हो, निष्पादन हेतु स्थानांतरित कर देगा । ऐसे मामलों में प्रथम बार आवेदन प्राप्त करने वाला लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने हेतु उस आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/11/09

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना बिहार को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी मुद्रित 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को सुलभ कराने हेतु प्रेषित ।

19/11/09

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के सचिव/उप मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव, मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/11/09

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार विधान सभा, पटना तथा सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को एक सी0डी0 तथा दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/11/09

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 2009

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.11.09 की मद संख्या–18 द्वारा स्वीकृति के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/11/09

सरकार के उप सचिव ।